न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –02 / 2022 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2022 / 19

1. दिनेश आत्मज राधेश्याम जाति खाती
2. किशोर आत्मज राधेश्याम जाति खाती
3. हीरालाल आत्मज बद्रीलाल जाति खाती
4. बसंतीबाई पत्नि बद्रीलाल जाति खाती
   निवासीगण सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी

––प्रार्थी.

बनाम

1. प्रेमचन्द आत्मज देवलाल जाति मीणा
2. फूलचन्द आत्मज देवलाल जाति मीणा
3. मांगीलाल पुत्री देवलाल जाति मीणा
4. शंकर आत्मज देवलाल जाति मीणा
5. हेमराज आत्मज देवलाल जाति मीणा
6. श्रीमति सन्तोष पुत्री देवलाल पत्नि हेमराज जाति मीणा
7. राहुल आत्मज मोहन जाति मीणा
   निवासीगण सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवान मुकदमा प्रेमचन्द बनाम दिनेश, न्ययालय तहसीलदार रामगंजमण्डी केस नं0 8 / 2021 निर्णय दिनांक 06.01.2022

उपस्थित–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक –20 / 02 / 2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने रास्ते के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 8 / 2021 उनवान प्रेमचन्द वगै0 बनाम दिनेश वगै0 में दिनांक 06.01.2022 को निर्णय पारित किया है कि "प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करें । पटवारी हल्का को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता खुलासा करावें ।"

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा के उक्त, आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.02.2022 को पेश की ,गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में तैयार पटवारी रिपोर्ट दिनांक 05.01.2022 को ही मनमानी विवेचना कर मात्र सुखाधिकार के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया है । जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । वकील अपीलान्ट द्वारा ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की गई । नोटिस प्राप्ति के बावजूद रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित है । अधीनस्थ न्य,ायालय की

पत्रावली प्राप्त की गई । रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने, से वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि, अपीलान्ट द्वारा अपनी संयुक्त खाते की आराजीयात के चारों ओर फसल की सुरक्षा हेतु गत 10 वर्ष पूर्व से स्थायी व्यवस्था कर पत्थर की बाउण्ड्रीवाल दो फुट चौडी चार फुट उंची कर रखी है तथा अपीलांट के पिता ने खसरा नं0 517 व 522 को मिलाकर एक खेत बना रखा है तथा सम्पूर्ण आराजीयात बाउण्डीवाल के अन्दर स्थित है । इस अहम तथ्य को नजर अंदाज कर निर्णय जैर अपील पारित किया है । रेस्पोडेन्ट खसरा नं0 521 पर खसरा नं0 529,526,525 व 523 व 520 की पश्चिमी मेड से होते हुये अपनी आराजी पर पहुंचते थे । इस बात का अंकन पटवारी रिपोर्ट दिनांक 5.1.2022 में स्पष्ट रूप से है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि खसरा नं0 523 के खातेदार ने खसरा नं0 520 को खरीद कर एकचक बनाकर बाउण्ड्रीवाल बना कर व पुराने रास्ते को बन्द करने के कारण रेस्पोडेन्ट को नया रास्ता प्रार्थीगण अपीलांट की भूमि में से खोले जाने का आदेश दे दिया है । इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षैत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए आदेश जैर अपील पारित की है । खसरा नम्बर 517 की उत्तरी मेड एवं खसरा नं0 511,512,514 के दक्षिण मेडों के मध्य एक रास्ता कायम है जो खसरा नं0 517 की पूर्वी कोने तक जाकर खसरा नं0 515 एवं 517 की मध्य मेड से खसरा सं0 518 तक पहुंचता है यद्यपि खसरा नं0 521 का रास्ता दक्षिणी दिशा में ग्राम सातलखेडी की कांकड से जहां खनन क्षैत्र स्थित है के सहारे सहारे होकर खसरा नं0 523 व 519 की मध्य मेड से खसरा नं0 520 एवं 518 की मध्य मेड से होकर खसरा नं0 521 तक स्थित रहा है । इसी आराजी खसरा नं0 521 के पूर्व खातेदार इसी रास्ते से आते जाते रहे है । भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 15 के अनुसार जहां किसी मार्गाधिकार या किसी अन्य सुखाचार का उसके लिये हक को दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सुखाचार के रूप में और साधिकार बिना रूकावट के 20 वर्षो तक शांतिपूर्वक खुले तौर पर उपयोग करने के उपरान्त सुधाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मात्र सुधाधिकार के आधार पर पारित कर कानूनी भूल की है । सुखाधिकार के आधार पर निर्णय करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.01.2022 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें ।

5. हमने वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 06.01.2022 के विरूद्व दिनांक 1.2.2022 को अन्दर मियाद पेश की है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के खाते की आराजी खसरा नं0 521 रकबा 1.05 हे0 ग्राम सातलखेडी का रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा पत्थर कोट कर बन्द करना बताते हुए रास्ता खुलवाने का निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस अनुसार रेस्पोडेन्टगण की आराजी 521 का रास्ता खसरा नं0 517 की दक्षिण मेड व खसरा नं0 522 की पक्षिमी से होना बताया है, जिसे अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा बन्द कर देने से तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के उक्त रास्ते के उपयोग सुखाचार में बाधा डाली जाने से पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलासा कराने के आदेश पारित किये है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्टगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं0 521 में लगभग वर्ष 2009–10 तक खसरा संख्या 529,526,625, व 523 व 520 की पश्चिमी मेड से होते हुये अपनी आराजी पर पहुंचते थे किन्तु खसरा संख्या 523 वाले खातेदारों ने खसरा संख्या 520 की भूमि को खरीदकर खसरा संख्या 523 व 520 के चारों तरफ पत्थर बाउण्ड्री कर ली जिससे 521 तक पहुंच खसरा सं0 517 की दक्षिणी मेर व 522 की पश्चिमी मेर से होते हुए अपने खेत खसरा संख्या 521 पर लगभग 5–7 वर्षो से गये किन्तु यह रास्ता भी अपीलांट द्वारा बन्द कर दिया जाने से खसरा संख्या 517 की दक्षिणी मेर व 522 की पश्चिमी मेर के सहारे सहारे रास्ता खुलासा कराया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रचलित रास्ते को खुलासा कराने के आदेश दिये है, नया रास्ता कायम नहीं किया है, तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । बन्द रास्तों को खुलासा कराने का अधिकार तहसीलदार को अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0 में है । अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.1.2022 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।
7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा